e/;in'k 0;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkkiky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

---

e/;in'k 'kklu] ty foHkkx d vrxr igjh] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] i|:"k ul] 'kkjhfjd if'k{k.k vuns'kd] flykbZ vuns'kd] c<bZfxjh vuns'kd] cukbZ vuns'kd] vUo"kd] Qkekfl LV xiM&2 ,o ycVfDuf'k;u d lh/kh Hkrh ,o lh/kh Hkrh&cdykx d fjDr ink ij Hkrh grq l;Dr p;u ijh{kk&2014

ijh{kk lpkyu ,o Hkrh fu;e iflrdk

<table>
<tr><td colspan="2">ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि</td><td>10.02.2014</td></tr>
<tr><td colspan="2">ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि</td><td>11.03.2014</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि</td><td>12.03.2014</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि</td><td>21.03.2014</td></tr>
<tr><td colspan="2">परीक्षा दिनांक व दिन</td><td>04.05.2014 (रविवार)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">परीक्षा शुल्क</td><td>सीधी भर्ती के पद हेतु</td><td>अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए – 500/–
अनु. जाति/अनु. जनजाति/निःशक्तजन के लिए –250/–</td></tr>
<tr><td colspan="2">lh/kh Hkrh&cdykx d ink grq dkbZ ijh{kk 'kYd ughA</td></tr>
<tr><td colspan="3">ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– देय होगा।</td></tr>
</table>

le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
04.05.2014 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश–पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी।

e/;izns'k O;kolkf;d ijh{kk e.My] Hkksiky

e/;izns'k 'kklu] tsy foHkkx ds varxZr izgjh] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] iq:"k ulZ] 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] vUos"kd] QkekZflLV xzsM&2 ,oa yscVsfDuf'k;u ds lh/kh HkrhZ ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ gsrq la;qDr p;u ijh{kk&2014

fo"k; lwph

Øa-	fooj.k	i"B Øa-
1.	v/;k;&1 & मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी, शिक्षक/सहायक शिक्षक, पुरूष नर्स, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बढईगिरी अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, अन्वेषक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 एवं लेबटेक्निशियन के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2014 हेतु विभागीय नियम	3–14
2.	v/;k;&2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	15–22
3.	v/;k;&3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	23
4.	izk:i&1 – प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	24
5.	izk:i&2 – आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	25

v/;k; & 1

e/;izns'k 'kklu] tsy foHkkx ds vrxZr izgjh] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] iq:"k ulZ] 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] vUos"kd] QkekZflLV xzsM&2 ,oa ycVsfDufu'k;u ds lh/kh HkrhZ ,oa lh/kh HkrhZ&cSdykWx ds fjDr inksa ij HkrhZ grq la;qDr p;u ijh{kk&2014 ds foHkkxh; fu;e

1-1 lkekU; %&

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रं./17217/सामान्य स्थापना/2013, दिनांक 31.10. 2013, के मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी, शिक्षक/सहायक शिक्षक, पुरूष नर्स, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बढईगिरी अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, अन्वेषक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 एवं लेबटेक्निशियन के fjDr dqy 341 inksa पर सीधी भर्ती, सीधी भर्ती–बैकलॉग हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2014 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1-2 ifjHkk"kk;sa %&

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) ''विभाग'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग।

(स) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(द) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है – जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार ।

(ई) ''मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(फ) ''म.प्र.'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1-3 inuke] osrueku rFkk 'kS{kf.kd ;ksX;rk %&

¼d½ inuke & izgjh ¼lh/kh HkrhZ] lh/kh Hkrhz&cSdykWx½] osrueku 5200&20200$1900 xzsM is

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

¼ ii½ 'kkjhfjd ekin.M %&

मापदण्ड	ऊँचाई	सीना बिना फुलाये
पुरूष अभ्यर्थी के लिए	165 से.मी.	83 से.मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	158 से.मी.	–––

1. आवेदक की दोनों ऑखों की दृष्टि सामान्य होना चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी को शारीरिक रुप से अपंग नहीं होना चाहिये।
3. अभ्यर्थी में 'नॉकनी/फ्लेट फुट' एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिये तथा चिकित्सक दृष्टि से योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक हैं।

ukV%& U;wure 'kkjhfjd vgZrk,a iw.kZ djus okys mEehnokj gh vkosnu djsaA U;wure 'kkjhfjd vgZrkvksa esa NwV dk dksbZ izko/kku ugha gSA vH;fFkZ;ksa dks lykg nh tkrh gS fd fu/kkZfjr ukitks[k iw.kZ ugha djus ij mudh vH;fFkZrk fujLr dj nh tk;sxhA

¼iii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh dqy 175 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिको के लिए	योग
		ओपन	महिला	ओपन	ओपन	
1.	अनारक्षित	68	45	15	22	150
2.	अनुसूचित जाति	05	02	00	01	08
3.	अनुसूचित जनजाति	04	03	01	02	10
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	02	00	01	07
	egk;ksx %&	**81**	**52**	**16**	26	175

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cSdykx dqy 77 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक	होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिको के लिए	योग
		ओपन	महिला	ओपन	ओपन	
1.	अनुसूचित जाति	08	06	02	03	19
2.	अनुसूचित जनजाति	29	15	06	08	58
	egk;ksx %&	**37**	**21**	**08**	11	77

fVIi.kh%&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक पी–3–04/2013/1/3 दिनांक 06.03. 2013 द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में दिये गये आरक्षण अनुसार जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती के पदों में 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। इस लाभ के लिये स्वयंसेवी नगर सैनिक की आवेदन करने की अंतिम तिथि को इस पद पर उनकी 03 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिये। अनुशासनहीनता, दुराचरण, अस्वस्थता अथवा भगोडे होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिको को प्रहरी संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नही होगी।

¼[k½ inuke & f'k{kd@lgk;d f'k{kd ¼lh/kh Hkrh] lh/kh Hkrh&cSdykx½ osrueku 5200&20200$2400 xzsM iS

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12 वी कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.

¼ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh dqy 19 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक	योग
		ओपन	महिला	ओपन	
1.	अनारक्षित	07	04	01	12
2.	अनुसूचित जाति	02	00	00	02
3.	अनुसूचित जनजाति	02	00	00	02
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01	00	03
	egk;ksx %&	**13**	**05**	**01**	19

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx d dy 02 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति	00	00	01 (दृष्टिबाधित)	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	01
	egk;kx %&	**01**	**00**	**01**	00	02

¼x½ inuke & i(:"k ul ¼lh/kh Hkrh] lh/kh Hkrh&cdykx½] orrueku 5200&20200$2800 xM i

¼i½ U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

(1) 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए

(2) पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स, पुरूषो, महिलाओं और बालकों में तीन वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद (भाग–अ) में रजिस्ट्रीकृत, जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता, ऐसे प्रशिक्षित कम्पाउण्डर या व्यक्ति को जिन्होने तीन मास का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम किया हो, अधिमान दिया जाएगा

¼ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 11 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक	योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	
1.	अनारक्षित	04	03	01 (अस्थिबाधित)	00	01	09
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	00	00	00	00	02
	egk;kx %&	**06**	**03**	**01**	00	01	11

vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx d dy 03 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति	01	00	00	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति	02	00	00	00	02
	egk;kx %&	**03**	**00**	**00**	00	03

¼?k½ inuke & 'kkjhfjd if'k{k.k vuqns'kd ¼lh/kh Hkrh&cdykx½] orrueku 9300&34800$3200 xM i

¼i½ U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक का प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा होना चाहिए अथवा शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा तथा तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए

¼ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh&cdykx d dy 03 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति	01	00	01
3.	अन्य पिछडा वर्ग	01	00	01
	egk;kx %&	**03**	**00**	03

¼p½ inuke & flykbZ vuqns'kd ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx½] osrueku 5200&20200$1900 xzsM ih

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए शासकीय संस्था या मान्यता प्राप्त सिलाई संस्था का प्रमाण पत्र या पत्रोपाधि (डिप्लोमा) होना चाहिए

vuqHko%& उम्मीदवार के पास पर्याप्त सैद्वांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान और शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए एवं बंदियों को शिक्षा देने और लेखे संधारित करने और बंदियों पर अंकुश रखने संबंधी योग्यता होनी चाहिए, बंदियों को सिलाई प्रशिक्षण देने की क्षमता होनी चाहिए।

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx dk dqy 02 in½ %&

स. क्र.	श्रेणी	निल		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनुसूचित जाति	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति	01	00	01
	egk;ksx %&	**02**	**00**	02

¼N½ inuke & c<bZfxjh vuqns'kd ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx½] osrueku 5200&20200$1900 xzsM ih

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी संस्था से बढईगिरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए

vuqHko%&
1. बढईगिरी कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
2. बंदियो को बढईगिरी कार्य सिखाने तथा लेखा रखने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx dk dqy 01 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	विकलांग		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित	01 (श्रवण बाधित)	00	00
	egk;ksx %&	**01**	**00**	01

¼t½ inuke & cqukbZ funs'kd ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx½] osrueku 5200&20200$1900 xzsM ih

¼i½ U;wure 'kS{kf.kd vgZrk %&

1. 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम एक वर्ष का बुनाई में डिप्लोमा होना चाहिए

vuqHko%&
1. उम्मीदवार को बुनाई कार्य का कम से कम 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए
2. उम्मीदवार को बंदियो को प्रशिक्षित करने तथा लेखा संधारित करने की क्षमता होनी चाहिए

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh HkrhZ&cSdykWx dk dqy 01 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	विकलांग		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित	01 (श्रवण बाधित)	00	00
	egk;ksx %&	**01**	**00**	01

¼p½ inuke & vUos"kd ¼lh/kh HkrhZ½] osrueku 5200&20200$2800 xzsM ih

¼i½ U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा समाज शास्त्र विषयों में से एक विषय लेकर स्नातक उपाधि। द्वितीय श्रेणी में उपाधि धारण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 01 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	विकलांग		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित	01 (श्रवण बाधित)	00	00
	egk;kx %&	**01**	**00**	01

¼>½ inuke & QkekflLV xM&2 ¼lh/kh Hkrh½] orueku 5200&20200$1900 xM i

¼i½ U;ure शै{kf.kd vgrk %&

1. जीवविज्ञान रसायन एवं भौतिकी (बायोलाजी केमिस्ट्री एवं फिजिक्स में) हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण/10+2 शिक्षा पद्वति में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए,
2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिप्लोमा
3. फार्मेसी कौसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का पंजीयन

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 45 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक	योग
		ओपन	महिला	ओपन	
1.	अनारक्षित	20	10	03	33
2.	अनुसूचित जाति	02	00	00	02
3.	अनुसूचित जनजाति	05	02	01	08
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	00	00	02
	egk;kx %&	**29**	**12**	**04**	45

¼¥½ inuke & ycVfDuf'k;u ¼lh/kh Hkrh½] orueku 5200&20200$2800 xM i

¼i½ U;ure 'k{kf.kd vgrk %&

1. जीवविज्ञान रसायन एवं भौतिकी (बायोलाजी, केमिस्ट्री एवं फिजिक्स) विषय लेकर हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण/10+2 शिक्षा पद्वति में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
2. रोग विज्ञान तकनीशियन (पैथोलॉजी टेक्निशियन) का 10 माह/एक वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी) होना चाहिए

¼ ii½ vkj{k.k rkfydk ¼lh/kh Hkrh d dy 01 in½ %&

स.क्र.	श्रेणी	विकलांग		योग
		ओपन	महिला	
1.	अनारक्षित	01 (श्रवणबाधित)	00	01
	egk;kx %&	**01**	**00**	01

1-4 ukxfjdrk ,o LFkkbZ fuokl h d lc/k e %&

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो :–

(क) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये, या

(ख) आवेदक को सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

fVIi.kh %&

1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बल जाए, तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।
   - (i) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं।
   - (ii) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।
   - (iii) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

(II) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/निल/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।

1-5 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, iqgjh ,oa 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd in gsrq vk;q lhek %&

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी–18–15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

l-Ø-	vkosnd	Js.kh	vf/kdre vk;q lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	30 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	30+5=35 वर्ष
3.	महिला	सामान्य/अनारक्षित वर्ग	30+10=40 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	30+5+10=45 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	30+10+5=45 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	30+10+5=45 वर्ष

1-5-1 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ds fy, f'k{kd@lgk;d f'k{kd] iq:"k ulZ] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] vuqns'kd] QkekZfllV xzsM&2 ,oa ycVsfDuf'k;u in gsrq vk;q lhek %&

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं. सी–18–15/91/3/1, दि. 03.02.1992 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु सीमा 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–11/12/1/3, दि. 03.11.2012 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है :–

l-Ø-	vkosnd	Js.kh	vf/kdre vk;q lhek
1.	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+5=40 वर्ष
3.	महिला	सामान्य/अनारक्षित वर्ग	35+10=45 वर्ष
4.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिवर्ग)	35+10=45 वर्ष
5.	महिला	सामान्य वर्ग (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10=45 वर्ष
6.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा/अपिव) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+10=45 वर्ष

1-5-2 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa ikrRkgu Lo:i nh tkus okyh NwV %&

(क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1-5-3 e/;izns'k ds LFkkbZ fuoklh vkosndksa dh vk;q lhek ds lca/k esa vU; fooj.k %&

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–सी–3/12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए (05 वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) 45 वर्ष रहेगी।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

¼?k½ lkekU; iz'kklu foHkkx ds Kki Øekad 50&2532&¼3½ 80 fnukad 12-02-1981 ,oa Øekad ,Q 8&1@06@vk0iz0@,d fnukad 12-06-2006 }kjk lsok ;kX; fu%'kDrtuksa dks ¼U;ure 40 izfr'kr fu%'kDrrk okys 'kkjhfjd :i ls fu%'kDr O;fDr½ fu/kkZfjr vk;q lhek esa 10 o"kZ dh NwV iznku dh xbZ gSA

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(ड़) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
    (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
    (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीप– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

¼2½ ;fn dkbZ vkosnd iksRlkgu Lo:i nh tkus okyh NwV ds eki ls fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa NwV dk ykHk ds fy;s ,d ls vf/kd vk/kkj j[krk gS] rks mls vf/kdre ykHk okys fdlh ,d vk/kkj ds fy;s fu/kkZfjr vf/kdre vk;q lhek esa gh NwV dk ykHk izkIr gksxkA ;g NwV fu/kkZfjr vf/kdre vk;q&lhek ds vfrfjDr gksxhA lHkh izdkj dh NwV dk 'kkfey djrs gq, fdlh Hkh fLFkfr esa fdlh Hkh inoxZ ds fy, vf/kdre vk;q&lhek 45 o"kZ ls vf/kd ugha gksxhA

1-6 vkj{k.k ls lacaf/kr Li"Vhdj.k %&

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी विकलांग (अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित) अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(स) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तत करना होगा।

(द) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(क) महिला होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिको के लिए होरीजेन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरिफारवर्ड नही होगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मिदवारों से भरे जावेगे।

1-7 vH;fFkZrk@p;u ds lac/k esa fugZrk,a@tkudkjh %

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतोन हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जायेगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जावेगा।

3. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ्य आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।

5. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

1-8 ijh{kk dh ;kstuk %&

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय–2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होंगे।

1-8-1 iFke pj.k & fyf[kr ijh{kk %&

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों 200 अंकों (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) व तीन घंटे की अवधि का केवल 01 प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाईस्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

1-8-2 igjh in gsrq fyf[kr ijh{kk dh esfjV lwph %&

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रावीण्यता के आधार पर 07 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाईट पर व समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना–पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जायेगा। परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्रावीण्यता के आधार पर 07 गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोख व प्रावीण्यता टेस्ट के लिये बुलाया जायेगा। श्रेणी अनुसार 07 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 07 गुना से अधिक हो जावे। लिखित परीक्षा के पूर्व नाप जोख नहीं कराया जायेगा।

1-8-3 igjh in gsrq f}rh; pj.k & 'kkjhfjd eki ijh{k.k o 'kkjhfjd ikoh.;rk VsLV %&

प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जायेगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

1-8-4 igjh in gsrq 'kkjhfjd ikoh.;rk VsLV %

समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जायेगा :–

ijh{kk	igjh ¼iq:"k½	igjh ¼efgyk½	Hkwriwo lSfud ,oa gksexkMZ
800 मीटर दौड़	2 मिनट 50 सेकंड	4 मिनट 00 सेकंड	3 मिनट 15 सेकंड
गोलाफेक	20 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)	16 फिट (गोले का वजन 4.00 किलोग्राम)	15 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)

1. यदि दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है, तो उसे गोलाफेक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
2. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाइंग स्वरूप की होगी । इसमें कोई पूर्णांक–प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
3. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का विडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने प्रदर्शन/मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जावेगी, जो उसका विडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
4. शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जावेगा।

1-8-5 iqgjh in gsrq p;u lfefr %&

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रावीणता टेस्ट की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। शारीरिक नापजौक व शारीरिक प्रावीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी की जाएगी।

1-8-6 f'k{kd@lgk;d f'k{kd] iq:"k uls] 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] vUos"kd] QkekZflLV xzsM&2 ,oa ysCkfDuf'k;u in gsrq fyf[kr ijh{kk dh esfjV lwph %&

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची अनुसार प्रत्येक पद हेतु 07 गुना अभ्यार्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। श्रेणी अनुसार 07 गुना संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में साक्षात्कार का अवसर दिया जायेगा, भले ही कुल संख्या 07 गुना से अधिक हो जावे। साक्षात्कार उपरान्त साक्षात्कार के 10 अंकों एवं सिर्फ मेलनर्स एवं अन्वेषक के पद हेतु अधिमान के 02 अंकों में से प्राप्त अंकों की जानकारी पदवार जेल मुख्यालय द्वारा मण्डल को उपलब्ध करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में साक्षात्कार/अधिमान के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची मण्डल द्वारा जारी की जाएगी। जेल विभाग द्वारा व्यक्तिगत सूचना–पत्र जारी कर द्वितीय चरण में साक्षात्कार के लिए अवगत कराया जायेगा परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय, जेल विभाग अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी।

1-8-7 f'k{kd@lgk;d f'k{kd] iq:"k uls] 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] vUos"kd] QkekZflLV xzsM&2 ,oa ysCkfDuf'k;u in gsrq f}rh; pj.k & lk{kkRdkj %&

प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद हेतु 07 गुना सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण में साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जायेगी। प्रत्येक पद हेतु साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। सिर्फ मेलनर्स के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तीन माह का आपातकालीन नर्सिंग पाठ्यक्रम पूर्ण किया है उन्हें अधिमान के रूप में 02 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे। अन्वेषक पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय श्रेणी में निर्धारित स्नातक उपाधि धारण की हो उन्हे अधिमान के रूप में 02 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत साक्षात्कार की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ का विनिश्चय मान्य होगा।

1-9 f'k{kd@lgk;d f'k{kd] i;:"k ul] 'kkjhfjd izf'k{k.k vuqns'kd] flykbZ vuqns'kd] c<bZfxjh vuqns'kd] cqukbZ vuqns'kd] vUo"kd] QkekZflLV xzsM&2 ,oa ycsVfDufl'k;u in grq grq p;u lwph %&

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा द्वितीय चरण में साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत उम्मीदवारों को समिति द्वारा साक्षात्कार/अधिमान में दिये गये अंकों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात भर्ती के लिये द्वितीय चरण में अभ्यर्थियों की अन्तिम गुणागुण सूची (प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार/अधिमान में के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार कर मंडल द्वारा जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके आधार पर चयन समिति उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित करेगी।

1-10 ikjLifjd ojh;rk %&

अंतिम प्रावीण्य सूची तैयार करते समय समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जावेगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरियता दी जायेगी।

1-11 fu;qfDr %&

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जायेगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही–सही जानकारी भरना चाहिये, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिये। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिये। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

(1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जावेगा।

(2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जावेगा।

(3) जिस पद के लिये चयन किया जायेगा केवल उसी पद पर नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसी संवर्ग में आगे पदोन्नति/पदस्थापना की जावेगी।

1-12 izf'k{k.k %&

प्रहरी के पद पर नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथकसे भेजी जावेगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जायेगा।

1-13 foHkkx }kjk ijh{k.k fd;s tkus okys nLrkost dk fooj.k%&

जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :–

(1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट 10+2) की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हों।

(2) शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति)।

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं।

(4) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।

(6) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।

(7) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये)।

ukV& दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज विभाग के चाहने पर प्रस्तुत करना होगा।

1-14 ;k=k fdjk;k %&

जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

egRoi.k funs'k %&

2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग / संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख / संबंधित विभाग / म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश / चयन / नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2-3 vkuykbu vkosnu&i= Hkjus dh 0;oLFkk %&

(1) osclkbV www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी, शिक्षक / सहायक शिक्षक, पुरूष नर्स, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई अनुदेशक, बढईगिरी अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, अन्वेषक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 एवं लेबटेक्निशियन के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, सीधी भर्ती–बैकलॉग के अभ्यर्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को निर्धारित शुल्क अर्थात अनारक्षित / अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 500 / – तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / निशक्तजन के अभ्यर्थियों द्वारा रू. 250 / – का भुगतान कर भरा जा सकता है। सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु कोई परीक्षा शुल्क देय नही है। इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेविट (कोई भी वीजा / मास्टर / मास्टरो काई) / क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा / मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70 / – क्योस्क शुल्क देय होगा।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2-4 vkuykbu vkosnu&i= ds lkFk layXu fd;s tkus okys nLrkost dk fooj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।

(अ) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें।

(ब) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।

(स) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(द) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछ़डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नही होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नही किया जायेगा।

2-5 ,d ls vf/kd vkuykbu vkosnu&i= Hkjus lac/kh funs'k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ''हॉ'' विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। विकल्प ''हॉ'' का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई–मेल आईडी पर एम. पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन–पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन–पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-6 vkuykbu vkosnu i= ds lkFk QksVks ,oa gLrk{kj layXu djus lac/kh funs'k%&

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होगें। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(ii) फोटोग्राफ vkosnu Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा QksVksxzkQ ij f[kapokus dh fnukad o vkosnd ds uke dk Li"V mYys[k gksuk pkfg;sA

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2-7 vkuykbu vkosnu Hkjus ds lac/k esa funs'k %

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10.02.2014 से दिनांक 11.03.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। vkosnd }kjk Hkjs tkus okys vkosnu i= esa jkT; ,oa ftys dk fooj.k ehu ds ek/;e ls ikslr gksxkA ftlls Hkfo"; esa vko';drkuqlkj jkT; ,oa ftys dh vko';d tkudkjh ikslr dh tk ldsA igpku i= ds ehu esa ernkrk igpku i=] iSudkMZ] vk/kkj dkMZ] Mªk;fox yk;lsal] QksVks;qDr vadlwph rFkk ikliksVZ dk iko/kku j[kk x;k gS ;fn vkosnd }kjk vU; igpku i= p;u fd;k tkrk gS rks og nLrkost dk u lk gS bldh tkudkjh vfrfjDr lg&vkbZMh ds :i esa inku djuh gksxhA vkosnd dk vkosnu i= esa 'kjhj ds LFkk;h fpUg rFkk ijh{kk ds le; iLrqr fd;s tkus okys QksVks igpku i= dk fooj.k rFkk Øekad vfuok;Z :i ls vafdr fd;k tkuk gksxkA bude vHkko esa vkosnu i= Lohdkj ugh gksxkA ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2-7-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा bUVjusV ds ek/;e ls vkuykbu vkosnu QkeZ Hkjus dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी, शिक्षक/सहायक शिक्षक, पुरूष नर्स, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सिलाई

अनुदेशक, बढईगिरी अनुदेशक, बुनाई अनुदेशक, अन्वेषक, फार्मासिस्ट ग्रेड–2 एवं लेबटेक्निशियन के सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती–बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा–2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी funs'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट / डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2-7-2-4 ØfMV@MfcV dkM ds ek/;e ls ijh{kk 'kYd dk Hkqxrku&

आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-2-5 bVjuV cfdx ds ek/;e ls ijh{kk 'kYd dk Hkqxrku &

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2-7-3 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd ds ek/;e ls vkonu Qke Hkjus dh fof/k &

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट / डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित

होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukV%& ऑनलाईन आवेदन–पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkuykbu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-9 vkuykbu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 ijh{kk izos'k&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों के प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो–भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को

परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नही होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा'' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

io'k&i= ikIr djus dh ifØ;k&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ukV& प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-11 ijh{kk 'kgj %&

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी :–

क्रं.	लिखित परीक्षा केन्द्र
1.	जबलपुर
2.	भोपाल
3.	ग्वालियर
4.	इन्दौर
5.	रीवा
6.	सागर
7.	उज्जैन

मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो एवं परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

2-12 ijh{kk 'kqYd %&

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू. 500/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी/निशक्तजन के लिये रु. 250/– निर्धारित है। सीधी भर्ती–बैकलॉग के पदों हेतु कोई परीक्षा शुल्क (क्योस्क शुल्क छोडकर) देय नहीं है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/– अतिरिक्त देय होगा।

2-13 ijh{kk gky esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh %&

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह–आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

2.14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator,Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.15 लिखित परीक्षा का विवरण :–

स.क्रं.	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	04.05.2014 (रविवार)	03 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 01.15 बजे तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼[k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

¼´½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

¼V½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपाजायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा । विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

¼B½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त हाने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नही किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटो के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

¼M½ परीक्षार्थियों के विरूद्व परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।

2.17 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर(Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-18 =fVi.k i'u] mldk fujLrhdj.k ,o cnys esa fn;k x;k vad ¼&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

2- प्रश्न की संरचना गलत हो।

3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4- कोई भी विकल्प सही न हो।
5- यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{\mathbf{90 \times 200}}{\mathbf{(200 - 2)}} = \mathbf{90.91\ rounded\ off\ to\ 91.00}$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 01 एवं 02 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है । बिन्दु क्रमांक 2.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-20 ijh{kk ifj.kke dk idk'ku %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। जेल विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

2-21 fyf[kr ijh{kk e fu%'kDrtu vH;kfFk;k d fy, miyC/k lfo/kk, %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजनों को सुविधाएँ प्रदान की जाएगी :–

¼v½ lfo/kk, ikIr djus gr ik= vH;FkhZ %&

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हों, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

¼c½ inku dh tkus okyh lqfo/kk,¡ ¼&

उपरोक्त से संबंधित अभ्यार्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

¼l½ ys[ku fyfid dh fu;qfDr gsrq 'krsZ ¼&

1. लेखन लिपिक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी शैक्षणिक योग्यता परीक्षार्थी से कम हो।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

¼n½ blds vfrfjDr inks; dh tkus okyh lqfo/kk,¡ ¼&

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाऍ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. लेखन लिपिक की सेवाएं उपलब्ध कराने पर उन्हें यथासंभव एक अलग कक्ष की व्यवस्था भूतल पर की जावेगी।

2-22 vad lwph ¼&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड की जा सकेगी। तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-23 e-iz- O;kolkf;d ijh{kk e.My dk dk;Z i)fr ijh{kk dk lapkyu ,oa mldk ifj.kke ?kksf"kr djuk ek= gksxk ¼&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-24 U;kf;d {ks=kf/kdkj ¼&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction)मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––

v/;k; & 3

fyf[kr ijh{kk dk ikB~;Øe

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hkkx & 1	%	lkekU; Kku	&	i.kkd&40
Hkkx & 2	%	lkekU; fgUnh	&	i.kkd&40
Hkkx & 3	%	lkekU; vxth	&	i.kkd&40
Hkkx & 4	%	lkekU; xf.kr	&	i.kkd&40
Hkkx & 5	%	lkekU; foKku	&	i.kkd&40

ukV%& ek/;fed f'k{kk e.My] e/;in'k dh 10$2 i.kkyh d vrxr gkbLdy ijh{kk ¼d{kk nloh½ Lrj dk ikB~;Øe gkxkA

_____

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

i'u&ifLrdk d i'uk d lc/k e vH;konu

¼ukV& ;g ii= doy ijh{kkFkh }kjk gh Hkjdj fu/kkfjr le;kof/k rd e.My dk;ky; e miyC/k djku ij fopkj {k= e fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

l0Ø0	i'u Øekd	=fV dk fooj.k	lk{; d :i e iLrr nLrkot dk fooj.k	lyXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...................................
आवेदक का नाम.......................................

स्थान ....
दिनांक ....

ik:i&2

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

vkn'kZ mRrjksa ij vkifRr gsrq vH;kosnu

¼ukWV& ;g i:i= dsoy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkjdj fu/kkZfjr le;kof/k rd e.My dk;kZy; esa miyC/k djkus ij fopkj {ks= esa fy;k tk,xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

l-Ø-	mRrj Øekad	vkn'kZ dqath esa iznf'kZr mRrj	vH;FkhZ ds vuqlkj mRrj	mRrj ds leFkZu esa izLrqr nLrkost dk fooj.k	lyXud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................

दिनांक ....

lgefr i:ek.k&i=

e/;in:'k O;kolkf;d ijh{kk e.My }kjk e/;in:'k 'kklu] t:y foHkkx d: vrxr igjh] f'k{kd@lgk;d f'k{kd] i:"k ul] 'kkjhfjd if'k{k.k vuns'kd] flykbZ vuns'kd] c<bZfxjh vuns'kd] cqukbZ vuns'kd] vUo"kd] QkekfllV xM&2 ,o ycVfDuf'k;u d: fjDr inks ij lh/kh Hkrh] lh/kh Hkrh&cdykx gsrq l:;qDr p;u ijh{kk&2014 d: fy, r:;kj dh xbZ fu;eifLrdk e mYysf[kr ifyl foHkkx l: lcf/kr leLr fu;e o tkudkjh dh iqf"V o lgefr inku dh tkrh gA r:;kj fu;eifLrdk d: vuqlkj ijh{kk vk;kstu e foHkkx dk dkbZ vkifRr ugh g rFkk ijh{kk vk;kstu d: lca/k e foHkkx viuk i.kZ lg;kx inku djxkA

rnuqlkj ;g lgefr i:ek.k&i= lR;kfir@gLrk{kfjr dj inku fd;k tkrk gA

भोपाल, दिनांक :

सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :—सुरेन्द्र सिंह

पदनाम :—.महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ

सील :—...

———————————————————————————————